इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, प्रयागराज
परीक्षा विभाग के द्वारा काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक निर्देश
सत्र 2021–22

1 तीन वर्षीय (6 सेमेस्टर) इंजीनियरिंग/टेक्नोलाजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
2 दो वर्षीय (4 सेमेस्टर) मैनेजमेन्ट (कामर्शियल प्रैक्टिस/मैटीरियल मैनेजमेन्ट/मार्केटिंग मैनेजमेन्ट) डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
3 $1\frac{1}{2}$ वर्षीय (3 सेमेस्टर) पोस्ट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन।

A. काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं जमा करने के लिए प्रत्येक की दो सेट स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां अवश्य लायें–

1 आई0ई0आर0टी0 प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आप को जारी किया गया मूल प्रवेश पत्र।
2 न्यूनतम अर्हता ग्रहण करने वाली परीक्षा सहित समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें अर्थात इंजीनियरिंग/टेक्नोलाजी के डिप्लोमा हेतु हाई स्कूल अथवा समकक्ष, मैनेजमेन्ट डिप्लोमा हेतु इन्टरमीडिएट या समकक्ष (हिन्दी और अंग्रेजी हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट में अनिवार्य), पी0डी0सी0ए0 हेतु स्नातक उपधि (इन्टरमीडिएट स्तर पर गणित एवं भौतिक शास्त्र विषय सहित) अथवा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
3 अन्तिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) प्रारूप 8 पर।
4 उ0प्र0 के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछडे (Gen. E.W.S.) अभ्यर्थी, अन्य पिछडा वर्ग, उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/सैनिक आश्रित/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संतान का प्रमाण पत्र तथा शारीरिक विकलांगता श्रेणियों के सन्दर्भ में 31 मार्च 2021 के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त श्रेणी प्रमाण पत्र (संस्थान के प्रास्पेक्टस में मुद्रित निर्धारित प्रारूप यथास्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 9 के अनुरूप)
5 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का पेन्शन प्रपत्र तथा सैनिक अश्रितों के लिए सैनिक के पेन्शन कागजात यदि वह सेवा निवृत्त हो गया है।
6 06 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो जैसा कि प्रवेश/सत्यापन पत्र पर चिपकाया गया है जिस पर नाम एवं दिनांक लिखा हो।
7 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र। अन्य पिछडा वर्ग अभ्यार्थियों के लिए 31 मार्च 2021 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। काउन्सिलिंग के समय जाति प्रमाण पत्र इन्टरनेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ दिखना (Show होना) अति अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र यदि इन्टरनेट पर नही प्रमाणित होता है, तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट कम होगा तदनुसार किया जायेगा।
8 अन्तिम संस्थान द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल (सत्य) प्रथम प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल रूप से जमा होगी, स्नातक उपधि के छात्र विश्वविद्यालय से Migration Certificate की मूल प्रति अवश्य जमा करें। ICSE/CBSE बोर्ड के छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रथम प्रतिलिपि एवं बोर्ड द्वारा देय मूल प्रथम माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करेगें।
9 किसी राजकीय अस्पताल द्वारा ब्लड ग्रुप रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
10 उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रास्पेक्टस में मुद्रित प्रारूप 5 पर अधिवास प्रमाण पत्र देना होगा।
11 शिक्षा में व्यवधान यदि कोई हो तो कारण स्पष्ट करते हुए हलफनामा, जो निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज के नाम से देना होगा।
12 टी0सी0 (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) माइग्रेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति अवश्य अपने पास सुरक्षित रखें।

B. शुल्कः–समस्त शुल्क रू0 21,840/–(काउन्सिलिंग फीस एवं संस्था की फीस अलग–अलग) नगद जमा करना होगा। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1 रू0 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) सभी अभ्यार्थियों द्वारा देय काउन्सिलिंग फीस नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
2 प्रवेश हेतु अधिकृत अभ्यार्थियों के लिए निम्न संस्था शुल्कः–
सभी वर्ग (सामान्य वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) तथा सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्थान की शुल्क रू0 20840/– है जिसमें रू0 14430/–, रू0 840/–, रू0 4570/– एवं रू0 1000/– (काशनमनी) सभी प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश के समय ही नगद जमा करना अनिवार्य होगा।

C. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–

1 अभ्यर्थी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
2 अभ्यर्थी के माता–पिता (की संयुक्त रूप से) अथवा अभिभावक (यदि माता–पिता जीवित नही हैं) की सकल वार्षिक आय रू0 2.5 लाख (रू0 ढाई लाख) या उससे कम हो।
3 शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्ति करने हेतु अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।

D. काउन्सिलिंग के समय प्रवेश हेतु आने वाले छात्र/छात्राओं को निम्न प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लाना आवश्यक है।

1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा है।
2 अन्य पिछडा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2021 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
3 सभी वर्गो हेतु दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद का निर्गत कम्प्यूटरजनित आय प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
4 सभी वर्गो हेतु कम्प्यूटरजनित निवास प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
5 कम्प्यूटरजनित प्रमाण पत्रों की इन्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
6 पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिका, प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति तथा यदि गैप हो तो गैप का हलफनामा मूल रूप में।

10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/21 KBSingh 10/09/21

Mishra 10.9.21

SARKARIRESULT.COM

शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संस्थान में सत्र 2021–22 से प्रवेश के समय अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति अभ्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने की बाध्यकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

E. छात्रावास शुल्कः–

a. छात्रों हेतु छात्रावासः–

I. छात्रावास में प्रवेश अधिकृत होने पर रू0 10500/– (रूपये दस हजार पांच सौ मात्र) (रू0 10000/– वार्षिक छात्रावास शुल्क एवं रू0 500/– काशनमनी छात्रावास शुल्क) नगद जमा होगा।

II. रू0 14000/– (रूपये चौदह हजार मात्र) प्रथम सेमेस्टर के लिए मेस अग्रिम नगद जमा होगा।

III. छात्रावास आवंटन के समय उपरोक्त छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क नगद जमा की जायेगी।

नोटः– छात्रावास में मेस का संचालन ठेकेदार द्वारा किया जाता है। मेस ठेके के टेण्डर मे यदि मेस अग्रिम की धनराशि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि छात्र/छात्राओं को पुनः जमा करना होगा। उपर्युक्त वार्षिक छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क संस्थान खुलने पर छात्र द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

b. छात्राओं हेतु छात्रावासः–

छात्राओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास उपलब्ध है। इसमें प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्रायें मेरिट के अनुसार प्रवेश प्राप्त कर सकती है तथा उनको समाज कल्याण विभाग के नियमों का पालन करना होगा एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की नव प्रवेशित छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नही है।

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1 काउन्सिलिंग हेतु छात्र/छात्रा को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश नही मिलेगा।
2 काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जाने का सूचना पत्र स्वयं कही से भी आपको प्रवेश एवं आपकी पसन्द की ब्रान्च एलाटमेन्ट का अधिकार प्रदान नही करता है।
3 प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर ही प्रवेश एवं ब्रान्च का आवन्टन किया जायेगा। संस्थान पर लागू उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।
4 यदि आप निर्धारित काउन्सिलिंग की तिथि एंव समय पर उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित नही होते तो आप प्रवेश पाने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिये जायेगे।
5 छात्रावास की सुविधा उपलब्ध स्थानों की सीमा तक प्रवेश के समय अभ्यार्थियों के माता/पिता/अभिभावक के साक्षात्कार के उपरान्त केवल इंजी0/मैनेजमेन्ट/पी0डी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। छात्रावास के लिए अभ्यार्थियों को काउन्सिलिंग के दिन ही एक अलग से निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना पड़ेगा।
6 छात्रावास में प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियम लागू होगें।
7 आप द्वारा दी गयी कोई भी सूचना यदि कभी भी गलत जालसाजी के रूप में पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और सभी जारी किये गये प्रमाण पत्र वापस कर लिये जायेगे तथा आपके विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
8 काउन्सिलिंग में उपस्थित होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नही होगा।
9 अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों के प्रवेश पर मेरिट कम में तभी विचार किया जायेगा यदि मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश राज्य का कोई अभ्यर्थी न हो।
10 कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ज्यूरीडिकेशन में होगा।
11 प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेश के समय जमा किया गया कोई भी शुल्क (काशनमनी को छोड़कर) किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।
12 संस्थान में प्रवेश के दौरान या उपरान्त निर्धारित मदों में यदि शुल्क में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर तदानुसार देयता सुनिश्चित होगी एवं सम्बन्धित पक्ष को स्वीकार्य करनी होगी।

महत्वपूर्ण निर्देशः– जिन प्रवेशार्थियों के पास आवश्यक वांछित अभिलेख/प्रपत्र मूल रूप में नही होगे, उन्हे प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा तथा उन्हे किन्ही भी परिस्थितियों में प्रवेश नही मिलेगा।

10/09/2021 10/09/2021 10/09/21

V. Mishra 10.9.21
निदेशक
आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज

10/09/2021 10/09/21